झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
षोडश (मानसून) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 04 श्रावण 1941 (श0) / 26 जुलाई, 2019 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
61.	अ0सू0–20	श्री पौलुस सुरीन,	आई0 टी0 आई0 खोलना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	21.07.2019
62.	अ0सू0–4	श्री प्रदीप यादव,	राशि की वसूली।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.07.2019
63.	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल,	सूचीबद्ध करना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण	20.07.2019
64.	अ0सू0–19	श्री ताला मराण्डी,	मुआवजा देना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	21.07.2019
65.	अ0सू0–17	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,	ठोस निर्णय लिया।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	21.07.2019
66.	अ0सू0–5	श्रीमती बिमला प्रधान,	जाँच कराना।	वाणिज्यकर	16.07.2019
67.	अ0सू0–18	श्री पौलुस सुरीन,	भवन का निर्माण	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 कल्याण।	21.07.2019
68.	अ0सू0–11	श्री राधाकृष्ण किशोर,	बिमीतों की संख्या।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	19.07.2019
69.	अ0सू0–10	श्री ढुलू महतो,	नियुक्ति कराना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	19.07.2019
70.	अ0सू0–22	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	भूखण्ड आवंटित करना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	21.07.2019
71.	अ0सू0–12	श्री बिरंची नारायण,	खतियान खोलना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	20.07.2019

कृ0पृ0उ0

* 72. अ0सू0–6	श्री नलिन सोरेन,	अपराधियों की गिरफ्तारी।	विधि	16.07.2019
73. अ0सू0–21	श्री ताला मराण्डी,	अर्हता बदलना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0 कल्याण।	21.07.2019
74. अ0सू0–7	श्री नलिन सोरेन,	भूमि का हस्तांरण।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	16.07.2019
75. अ0सू0–2	श्री राधाकृष्ण किशोर,	अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई करना।	स्वा0 चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	15.07.2019
76. अ0सू0–9	श्री ढुलू महतो,	मुआवजा एवं नियोजन कराना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	19.07.2019
77. अ0सू0–16	श्री दीपक बिरूवा,	स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	21.07.2019
78. अ0सू0–1	श्री सुखदेव भगत,	राजस्व की क्षतिपूर्ति कराना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	15.07.2019
79. अ0सू0–15	श्रीमती मेनका सरदार,	ईलाज सुनिश्चित कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	21.07.2019
80. अ0सू0–8	श्री मनीष जायसवाल ,	दवा की आपूर्ति कराना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.07.2019
81. अ0सू0–14	श्री दीपक बिरूवा,	सेवा नियमित करना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण।	21.07.2019
82. अ0सू0–3	श्री चमरा लिण्डा,	कार्रवाई करना।	रा0निबंधन एवं भूमि सुधार	16.07.2019

राँची
दिनांक–26 जुलाई,2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2018– 1645 /वि0स0,रांची,दिनांक– 23/07/19

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
23/07/19
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्य–प्रश्न–01/2018– 1645 /वि0स0,रांची,दिनांक– 23/07/19

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
23/07/19
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2018– 1645 /वि0स0,रांची,दिनांक– 23/07/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
23/07/19
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

23/07

* विधि विभाग के पत्रांक-1345 दिनांक-18/07/19 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

(61)

श्री पौलुस सुरीन, माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–20 की उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री पौलुस सुरीन माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पलिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के रनिया एवं सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है;	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 का नहीं होने से स्थानीय विद्यार्थियों को बाहर की ओर रूख करना पड़ता है या फिर वे तकनीकी शिक्षा से वंचित हो जाते है;	उत्तर – आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में आई0टी0आई0 की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	अगामी वित्तीय वर्ष 2020–2021 में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर खूँटी जिलान्तर्गत रनिया प्रखण्ड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–93/2019श्र0नि0– 1251 राँची, दिनांक– 25/07/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–1625, दिनांक–21.07.2019 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.7.19

सरकार के उप सचिव।

(62)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि कोल कम्पनियों द्वारा खनन के लिए ली गई राज्य की सरकारी जमीन की लीज बन्दोबस्ती लगान शुल्क–33,214 करोड़ रूपया बकाया रखा गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार इतनी बड़ी रकम की वसूली हेतू मामूली प्रयास कर रही है;	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा समय–समय पर CCL, BCCL एवं ECL से राशि की मांग की जाती रही है। पुनः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, CCL, BCCL एवं ECL से उक्त संदर्भ में पत्राचार किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त लीज बंदोबस्ती की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी ढंग से समुचित प्रयास करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 05 / स0भू0वि0स0(अ0सू0)–108 / 2019 -2785 (5) / रा. राँची, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1449 / वि0स0, दिनांक–16.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
25.7.19

(63)

श्री मनीष जयसवाल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.07.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसुचित प्रश्न स0–13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में अब तक आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत कुल 164 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हो चुकी है जिसमें रॉची राजधानी में कुल 21 निजी अस्पतालों और कुल–17 सरकारी अस्पतालों में उक्त योजना का लाभ मरीजों की दी जा रही है परन्तु रॉची के सेंटेविटा, सम्फोर्ड और आर्किड अस्पतालों सहित हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवधर सहित कई अन्य जिलों में उक्त योजना हेतु सूचीबद्धता की निर्धारित तथ मापदंड होने के बावजूद उक्त निजी अस्पतालों को अब तक उक्त योजनान्तर्गत सूचीबद्ध नहीं की गई है जिससे स्थानीय लाभुकों को आये दिन अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य में AB-PMJAY के अन्तर्गत अबतक कुल 647 अस्पताल सूचीबद्ध है। जिसमें 219 सरकारी तथा 428 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है। AB-PMJAY के अन्तर्गत रॉची जिला में 88 निजी अस्पताल तथा 20 सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध है। रॉची जिला में सम्फोर्ड अस्पताल सूचीबद्ध है। सेंटेविटा, आर्किड अस्पताल द्वारा online आवेदन नहीं होने के कारण सूचीबद्ध नहीं किया गया है। AB-PMJAY के अन्तर्गत निजी अस्पतालों के द्वारा सूचीबद्धता के लिए online आवेदन किया जाना है। उक्त पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित District empanelment Committee के जॉचोपरांत मानक के अनुरूप पाये जाने पर SEC (State empanelment Committee) को अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जाता है। SEC तदुपरांत समीक्षा कर सूचीबद्ध करने हेतु अनुशंसा के साथ NHA (National Health Authority) को अग्रसारित करती है। NHA की सहमति प्राप्त होने पर अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजनान्तर्गत हजारीबाग जिला सदर अस्पताल में देश का पहला गोल्डेन कार्ड श्रीमती रेणु देवी के नाम बनाया गया ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित योजना का लाभ हेतु राज्य के वैसे सभी निजी अस्पतालों को जो सरकार द्वारा निर्धारित सूचीबद्धता की मापदंड को पूरा करते है, को सूचीबद्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	स्वीकारात्मक। निजी अस्पतालों द्वारा सूचीबद्धता हेतु online आवेदन करने एवं मानक के अनुरूप पाये जाने पर सूचिबद्ध किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–13/वि0 स0–07–09/19–284(13) स्वा0, राँची, दिनांकः 24/07/2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 प्र0–1606/वि0स0, दिनांक–20.07.19 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/2019
सरकार के उप सचिव।

(64)

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में मांझी परगैनत, मानकी मुण्डा, डोकलो–सोहोर प्रधान गौड़ेत आदि की Service Land (सेवाईत भूमि) एवं निजी भूमि की स्वरूप अलग–अलग है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित Service Land की अधिग्रहण के बदले वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा इसमें देर होने पर Misleneous Fund (Service land अधिग्रहण की मुआवजा राशि) में से 6 प्रतिशत राशि Public Service Holder को अबतक देना है जबतक वैकल्पिक भूमि मुहैया करा नहीं दी जाती है ;		भू–अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत् किया जाता है। अधिनियम के दूसरी अनुसूची के क्रम सं0–2 के अनुसार मात्र सिंचाई परियोजना के लिए अर्जित भूमि के मुआवजा के बदले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि जो भी कम हो, भूमि के लिए भूमि मुहैया कराने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भुक्तभोगी Public Service Holder को चिन्हित कर मुआवजा प्रदान करने सह वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8ए0/भू0अ0नि0 वि0स0 (अ0सू0)–83/2019.....455.....(8)/रा0 राँची, दिनांक–25-7-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1622/वि0स0, दिनांक–21.07.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(65)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–17 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के जिन अंचलों में (यथा रंका, चिनियाँ, रमकण्डा सहित) हाल सर्वे खतियान 2000 ई0 के बाद प्रकाशित हुआ है उन अंचलों में वर्ष 1985 के बाद से सरकारी भूमि की गत सर्वे खाता, खेसरा के आधार पर किये गये सरकारी बन्दोबस्ती संबंधी भूमिहिन बंदोबस्तधारीयों का लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित भूमि खतियान में झारखण्ड सरकार के नाम पर दर्ज कर पंजी–2 में भी झारखण्ड सरकार ही दर्ज किया गया है;		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिन अंचलों में हाल सर्वे खतियान प्रकाशित है उन अंचलों में वर्ष 1980 के बाद गत सर्वे खतियान के आधार पर की गई खरीद बिक्री एवं नामांतरण वाले मामले में हाल के सर्वे खाता, खेसरा के अंतर्गत लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाल सर्वे खतियान उन्ही रैयतों के नाम पर बना है जो वर्ष 1980 के करीब भूमि का स्वामित्व रखते थे;		स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रैयतों के हित में अविलम्ब त्रुटियों का निराकरण के दिशा में ठोस निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के पत्रांक–749, दिनांक–11.06.2019 के आलोक में त्रुटि निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस निमित लगातार कैम्प आयोजित कर मामलों का निष्पादन किया जा रहा है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)–111/19...2782(5)/रा., राँची, दिनांक–25-07-19
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–प्र.–1624/वि.स., दिनांक–21.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19
सरकार के संयुक्त सचिव

(66)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 05 का उत्तर

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि 2015 से अब तक सड़कों के विकास एवं उम्दा रख–रखाव के लिए सेस के मद में डीजल–पेट्रोल से तकरीबन 700 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है;</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।
पेट्रोल एवं डीजल पर अधिरोपित 'सेस' से प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नवत् है –
(राशि करोड़ में)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>संग्रहित राजस्व</th></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>220.22</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>219.65</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>237.79</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>256.03</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>933.69</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि स्टेट डेवलपमेंट फंड एक्ट– 2011 से पूरे राज्य में लागू है और पेट्रोल–डीजल पर सेस वसूलने एवं इसे सरकारी खजाने में जमा करने तथा खर्च करने के लिए 2012 में नियम बनाया गया है और इस सेस की वसूली की अधिकार बनाकर वाणिज्य–कर विभाग को दिया गया। साथ ही सेस के रूप में वसूली की गई राशि मुख्य शीर्ष (0045) में एक उपशीर्ष (00–112) बनाकर जमा करने का प्रावधान किया गया;</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।
राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में वाणिज्य–कर विभाग द्वारा 'सेस' अधिरोपण हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0–74 दिनांक 24.2.2015 के अंतर्गत पेट्रोल एवं डीजल (HSD) पर प्रति लीटर 1 रूपये की दर से सेस अधिरोपित है।</td></tr>
<tr><td>3. क्या यह बात सही है कि मुख्य शीर्ष–0045 में एक उपशीर्ष 00–112 अब तक बनाया ही नही गया और इसे मुख्य शीर्ष 0045 में ही जमा कर दिया जा रहा है इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क के लिए सेस के रूप में वसूली गई राशि सड़क के बदले कहाँ खर्च हो रही है;</td><td>उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
'सेस' के अंतर्गत संग्रहित राजस्व सरकारी कोषागार में जमा किया जाता है जिसका संग्रहण वाणिज्य–कर विभाग के मुख्यशीर्ष 0040 के अंतर्गत किया जाता है।
वाणिज्य–कर विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा 'पथ निर्माण' सहित विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाता है।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार सड़क निर्माण एवं रख–रखाव मद में बजटीय उपबंध का वर्षवार विवरण निम्नवत है :–
(राशि करोड़ में)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>राज्य स्कीम</th><th>स्थापना व्यय</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>3188.20</td><td>149.70</td><td>3337.90</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>3994.39</td><td>150.00</td><td>4144.39</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>5011.00</td><td>155.00</td><td>5166.00</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>4000.00</td><td>149.25</td><td>4149.25</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>16193.59</td><td>603.95</td><td>16797.54</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्य शीर्ष 0045 में उपशीर्ष 00–112 बनाना चाहती है और अब तक वसूले गये शेष राशि सड़क के बदले कहाँ खर्च किये गये हैं जाँच करवाना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा संदर्भित मद में संग्रहित राजस्व **पथ निर्माण/सड़क विकास एवं रख–रखाव सहित** विभिन्न विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है जो विभिन्न विभागों को विधान सभा में पारित विनियोग विधेयक द्वारा पारित एवं आवंटित किया जाता है। अतः प्रश्न की कंडिका–1 एवं 3 में अंकित तथ्यों के आलोक में प्रासंगिक मामले में किसी जाँच की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

झारखण्ड सरकार

वणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक–वा0कर/वि0मं/4/2019 2560 दिनांक– 23.07.2019

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उत्तर की 200 प्रतियाँ उनके ज्ञाप सं–1448 दिनांक–16.07.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(शिवचन्द्र भगत),
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

67

श्री पौलुस सुरीन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.07.2019 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–स0– 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड के पंचायत बेड़ाईरगी में स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन नहीं रहने से वहाँ के स्थानीय लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित हो रहे है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड के बेड़ाईरगी पंचायत के अन्तर्गत तीन स्वास्थ्य उप केन्द्र (1) स्वास्थ्य उप केन्द्र, रब्बाई (बानो) संचालित है, जो बेड़ाईरगी पंचायत भवन से 1 कि0 मी0 की दूरी पर है। (2) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सुतरौली (बानो) जो बेड़ाईरगी पंचायत भवन से 2.5 कि0 मी0की दूरी पर है। (3) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ओल्हान (बानो) संचालित है जो बेड़ाईरगी पंचायत भवन से 4 कि0 मी0 दूरी पर है। तीनों स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सा कर्मी पदस्थापित है जिसके माध्यम से ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वस्तुस्थिति यह है कि आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुसार एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु गैर जनजातीय क्षेत्र में 5000 एवं जनजातीय क्षेत्र में 3000 की आबादी होना आवश्यक है। जबकि बेड़ाईरगी ग्राम की कुल जनसंख्या मात्र 600 है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण में कठिनाई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेड़ाईरगी में स्वास्थ्य उप केन्द्र के लिए भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0 वि0स0 (अ0 सू0)– 48/19–845स्वा0, राँची, दिनांकः 25·7·19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1629/वि0स0, दिनांक– 21.07.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/07/19

अवर सचिव।

(68)

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 26.07.2019 को पूछे जाने वाले विधानसभा अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11 हेतु उत्तर सामग्री–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया का जीवन बीमा कराया जाना है, जिसके तहत् 342 रूपये का प्रीमियम केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 50:50 के दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाना है;	हाँ, उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019–20 में 1,02,820 व्यक्तियों बीमा लक्ष्य के विरूद्ध कुल 01 करोड़ 84 लाख रूपये का योजना उद्व्यय की राशि कर्णाकित की गई है;	हाँ, उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक खण्ड–1 में वर्णित योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों का बीमा कराया गया है?	आम आदमी बीमा योजना के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभिसरित होने के पश्चात् आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या की अनिवार्यता के फलस्वरूप भारतीय जीवन बीमा द्वारा 80048 भूमिहीन परिवारों का उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत बीमा करने हेतु उनके आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या की मांग की गई। अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनके आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या संग्रहीत कर अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से जिलावार भूमिहीन परिवारों के आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या के साथ अद्यतन आँकड़े प्राप्त कर माह सितम्बर, 2019 तक भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से बीमा कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–02 / श्रमा0का0– (वि0स0)–04 / 2019 श्र0नि0 1262 राँची, दिनांक 25-07-2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.7.19

सरकार के उप सचिव।

(69)

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अमानत (अमीन) की पढ़ाई होती है तथा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अन्य नियुक्तियों के तरह अमिन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सिर्फ राँची विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का कैंपस चयन कर सीधे नियुक्ति का निर्देश दिया गया है;	अस्वीकारात्मक है । विभागीय अधिसूचना सं0–3683 दिनांक–25.11.2013 के द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली– 2013 अनुसार अमीन का शैक्षणिक योग्यता "न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 तथा झारखण्ड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) से सर्वेयर का प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्णत का प्रमाण पत्र" है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, विभाग का अधिसूचना ज्ञापांक– 2718, दिनांक–30.03.2016 के आलोक में अमीन का शैक्षणिक योग्यता "इंटरमिडीएट/10+2 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अमानत (अमीन) के एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र" है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी संस्थान में अमानत (अमीन) की पढ़ाई कर रहे छात्र–छात्राओं का कैंपस चयन कर सीधे नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही, तो क्यों?	झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली– 2013 में अमानत (अमीन) के छात्र–छात्राओं का कैंपस चयन कर सीधे नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु सरकार इस विषय में सम्यक विचारोपरांत यथोचित कार्यवाही करेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 03/अ0क्षे0स्था0 (वि0स0अ0सू0)–64/2019 -2764 (3)/रा. राँची, दिनांक-25-07-19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1583, वि0स0 दिनांक–19.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-7-19

सरकार के अवर सचिव

(70)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–22 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न		उत्तर
	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कई जिलों/प्रखण्डों में सैकड़ों वर्षों से बसे हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लोग को आज तक सरकार द्वारा जमीन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं होने से उनका आवास जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं होने के साथ ही साथ हमेशा उजड़ने/बेघर होने का भय सताते रहता है, जैसे गढ़वा जिले के रंका पंचायत के शुकुलडिह, बरबिगहवा, शिवनाला, टॉड़ीपर, चुटिया पंचायत के गोदरमाना एवं मेराल प्रखण्ड के भिमखॉड़ इत्यादि ;		आंशिक स्वीकारात्मक। जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र स्थानीय जाँच कर जाँच के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के वैसे तामाम लोगों के साथ साथ गढ़वा विधान सभा के उपरोक्त वर्णित गाँवों में बसे हुए लोगों/परिवारों को चिन्हित कर उन्हें भुखंड आवंटित कर सभी सरकारी सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभागीय संकल्प सं0–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में अवैध/अनियमित जमाबंदी को सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)–112/19...2783...(5)/रा., राँची, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–प्र.–1623/वि.स., दिनांक–21.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

Comp/G/Ddrive/All folder/Vidhan Sabha-18d

(नी)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०	**श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो, समेत राज्य के अधिकांश जिलों में जमीनों का रिवीजनल सर्वे वर्ष 1932 के बाद नहीं हुआ है और 1932 ई0 का खतियान ही आज तक प्रभावी है, जबकि नियमानुसार हर 15 वर्षों में जमीनों का रिवीजनल सर्वे कर खतियान का निर्माण करवाना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है राज्य के अधिकतर निबंधन कार्यालय अभी वैसी जमीनों के सेल डीड का निबंधन नहीं कर रहे है, जो खतियान में आदिवासी के नाम से दर्ज है, लेकिन दीवानी न्यायालय द्वारा टाइटल सूट और एसएआर कोर्ट द्वारा गैर आदिवासी के पक्ष में न्यायादेश डिग्री प्राप्त है ;	समस्त निबंधन कार्यालयों द्वारा दस्तावेज निबंधन का कार्य निबंधन अधिनियम, मुद्रांक अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । साथ ही, समय समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत न्यायादेशों के आलोक में निबंधन पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।
3	क्या यह बात सही है कि अगर कुछ निबंधन कार्यालय द्वारा ऐसी आदिवासी खतियान की जमीनों जो की दीवानी न्यायालय से टाइटल सूट द्वारा गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को न्यायादेश डिग्री द्वारा प्राप्त है के सेल डीड का निबंधन कर दिया गया है, तो संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा ऐसी जमीनों का म्युटेशन भी नहीं किया जा रहा है ;	भूमि के म्युटेशन का कार्य अंचलाधिकारियों द्वारा संबंधित अधिनियम, नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत न्यायादेशों के आलोक में किया जाता है ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झरखण्ड की सभी जमीनों का रिविजनल सर्वे करवाकर खतियान निर्माण कराने और खण्ड 2 एवं 3 में वर्णित समस्याओं का समाधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों का रिविजनल सर्वे के उपरान्त कुल 9375 राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–02/भू०अ०परि०नि०, वि०स; (अ०सू०)–31/2019...339/नि०रा०, राँची, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–1605/वि०स०, दिनांक–20.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\Vidhanshabha Quastion.docx 53 (Hema)

(72)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 की उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001 से अब तक झारखण्ड राज्य गठन के बाद से जिलों की पुलिस ने कोर्ट शिकायतवाद के मामले में निचली अदालतों के आदेश के बावजूद 5294 मुकदमें दर्ज नहीं किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वर्ष 2001 से अब तक कोर्ट शिकायतवाद के कुल 1522 मामले दर्ज करने हेतु लंबित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि बीते 19 सालों में कोर्ट कम्प्लेन के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किये जाने के मामले में साहेबगंज–1598, गढ़वा–188, देवघर–491, गिरिडीह–490, राँची–332, चतरा–290 व हजारीबाग–312 मामलों की F.I.R. दर्ज नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के साहेबगंज जिला में 667, गढ़वा–188, देवघर–00, गिरिडीह–00, राँची–00, चतरा–92 एवं हजारीबाग में 205 कोर्ट परिवाद मामले दर्ज करने हेतु लंबित हैं।
3.	यदि उपरोक्त दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी निचली अदालतों के कम्प्लेन मुकदमों में दंडित करने व अपराधियों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कांड दर्ज होने के उपरांत पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान के क्रम में पाये गये तथ्यों के आलोक में विधि–सम्मत् कार्रवाई की जाती है। सरकार तीव्रता से कार्रवाई करने के लिए दृढ़संकल्पित है, परन्तु इतनी बड़ी संख्या के मामलों में अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण की कार्रवाई, जो एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है, के लिए सीमित समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–06 / वि०स०–03 / 2019– 4015 **/ राँची, दिनांक** 24/07/**2019 ई०।**

प्रतिलिपि – 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1480, दिनांक 16.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.19

सरकार के अपर सचिव।

(73)

श्री ताला मराण्डी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.07.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-21 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है, राज्य में Grade-A Nurse की नियुक्ति हेतु B.Sc. Nursing एवं अनुभव 1000 शय्या अस्पताल मे कार्य करने की अर्हत्ताएँ रखी गई है ;	अस्वीकारात्मक। रिम्स, राँची द्वारा Grade-A Nurse की नियुक्ति हेतु अहर्ता निम्नवत रखी गई है:- (i) मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविधालय से बी0एससी0 नर्सिंग (चार वर्षीय) अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविधालय से बी0एससी0 (पोस्ट सर्टिफिकेट) या समकक्ष यथा पोस्ट बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग (दो वर्षीय) (ii) भारतीय परिचारिका पर्षद/ झारखण्ड परिचारिका पर्षद से निबंधित होना चाहिए।
2. क्या यह बात सही है कि B.Sc. Nursing की पढ़ाई RIMS, MGM, PMCH तथा Private Institution Namkom एवं Irba में होती है तथा 1000 bed का प्रावधान केवल RIMS, Ranchi में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स, राँची 1500 बेड का अस्पताल है, जबकि एम0जी0एम0, जमशेदपुर और पी0एम0सी0एच0, धनबाद 560 बेड का अस्पताल है।
3. क्या यह बात सही है कि रखी गई अहर्त्ताओं से राज्य के अभ्यर्थी वंचित होंगे तथा बाहर के अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे जो राज्यहित में नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार में स्थानीय अभ्यर्थीयों के लिये रखी गई अहर्त्ताएँ बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स (वि0स0)-05-05/2019 - 189(11) स्वा0/राँची/दिनांकः-25/07/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1630/वि0स0 दिनांक 21.07.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19
सरकार के उप सचिव।

(74)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि मौलाना आजाद नेशनल युनिर्वसिटी के प्रस्ताव की प्रक्रिया 23 नवम्बर 2008 को राज्यपाल सचिवालय द्वारा शुरू करायी गयी थी तथा तत्कालीन राँची D.C. ने ओरमांझी अंचल के मौजा दड़दाग में 5.00 एकड़ भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव सरकार को दिया था ;	स्वीकारात्मक। ओरमांझी अंचल अन्तर्गत मौजा–दड़दाग, थाना सं0–33 में चिन्हित–5.00 एकड़ भूमि कृषि विभाग की है। कृषि विभाग के द्वारा असहमति प्रकट किये जाने के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं की जा सकी।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष–2015 में मौजा दड़दाग के बदले नगड़ी अंचल अंतर्गत मौजा साहेर थाना नं0–116, खाता नं0–115, प्लॉट संख्या–230 रकबा–5.00 एकड़ भूमि चिन्हित कर एक माह में अग्रेतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। नगड़ी अंचल के मौजा–साहेर, थाना सं0–116, खाता सं0–155, प्लॉट सं0–1253, रकबा–5.00 एकड़ भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। अधियाची से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के लिए अधियाचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उनके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का अधियाचना पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजभवन द्वारा शुरू कराये गये प्रक्रिया के आलोक में चिन्हित भूमि को मौलाना आजाद नेशनल युनिर्वसिटी के नाम हस्तांतरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	अधियाची से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का अधियाचना पत्र प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/वि0स0 राँची (अ0सू0)–51/2019...2787...(4)/रा0 राँची, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1479/वि0स0, दिनांक–16.07.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(75)

श्री राधा कृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.07.2019 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–स0– 02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सम्पूर्ण राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चयनित एजेन्सीयों के माध्यम से आउट सोर्सिंग के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्यभर में चयनित एजेन्सीयों के द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत बताए गए कर्मियों की संख्या बलों का भौतिक सत्यापन कराये जाने पर कर्मियों की संख्या में भारी कमी पायी गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के जाँच प्रतिवेदनानुसार एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर एवं उपायुक्त, पलामू के जाँच प्रतिवेदनानुसार कार्यरत आउटसोर्स कर्मी की संख्या वास्तविक संख्या से कम पाये गए हैं।
3. क्या यह बात सही है कि सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा MGM कॉलेज जमशेदपुर तथा जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र पलामू में वर्ष 2017–18 में आउट सोर्सिंग कर्मियों के भौतिक सत्यापन की जाँच के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने अपने पत्रांक–990, दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से आउट सोर्सिंग कर्मियों की कुल संख्या 728 के विरूद्ध 424 तथा उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–708, दिनांक 29.08.2018 के माध्यम से सदर अस्पताल, पलामू तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में आउट सोर्सिंग 424 कर्मियों के विरूद्ध मात्र 193 कर्मियों को कार्यरत प्रतिवेदित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। आउटसोर्स कर्मियों के भौतिक सत्यापन की जाँच के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा एम0जी0एम0मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में आउटसोर्स एजेन्सी के अनुसार वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की कुल सं0 129 के विरूद्ध कुल 120 कर्मी पाये गए है एवं एम0जी0एम0 मेडिकल अस्पताल, जमशेदपुर में कार्यरत कुल 550 कर्मियों के विरूद्ध 428 कर्मी पाये गए है। उपायुक्त, पलामू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आउटसोर्स एजेन्सी से प्राप्त सूची के अनुसार कुल 424 कार्यरत कर्मी प्रतिवेदित हैं, जबकि उपस्थिति पंजी के अनुसार 281 कर्मी है, जिसके विरूद्ध निरीक्षण के क्रम में उपस्थित कर्मियों की संख्या 193 प्रतिवेदित हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एजेन्सीयों के द्वारा आउट सोर्सिंग में बरते जा रहे अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, पलामू/पूर्वी सिंहभूम के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सिविल सर्जन, पलामू एवं प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर को मात्र उपस्थित पाए गए आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय का भुगतान करने तथा गलत तरीके से उपस्थिति दिखाकर मानदेय प्राप्त करने के लिए संबंधित एजेन्सी से कारण पृच्छा करते हुए ब्लैक लिस्ट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

		उपायुक्त के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आउटसोर्स एजेन्सी के द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (अल्प सू0)– 40 / 19-846 स्वा0, राँची, दिनांकः 25.7.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1410 / वि0स0, दिनांक– 15.07.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19

उप सचिव।

(70)

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि भू–अर्जन विभाग द्वारा बी0सी0सी0एल0 के लिए जमीन अधिग्रहण करने एवं मुआवजा/नियोजन भुगतान की व्यवस्था की जाती है ;	जिला भू–अर्जन शाखा द्वारा बी0सी0सी0एल0 प्रबंधन से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भूमि अर्जन एवं अर्जनाधीन भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता रहा है, नियोजन से संबंधित मामला अधियाची विभाग (बी0सी0सी0एल0) के द्वारा किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सहित राज्य में सैकड़ों ऐसे मामले है, जिसमें लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी मुआवजा/नियोजन का मामला लंबित है ;	अधियाची विभाग द्वारा अधियाचना के आलोक में भूमि अर्जन एवं अर्जनाधीन भूमि का कम से कम 80% मुआवजा राशि का भुगतान हो जाने के पश्चात् ही अधियाची विभाग को भू–स्वामित्व/दखल प्रमाण पत्र दिया जाता है, पंचाट में अज्ञात एवं न्यायालय में विचाराधीन विवादित प्लॉटों में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। धनबाद जिला अन्तर्गत मुआवजा भुगतान से संबंधित मामले प्रकाश में आने पर यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र की जाती है। नियोजन से संबंधित मामला अधियाची विभाग (बी0सी0सी0एल0) के द्वारा किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि जमीन अधिग्रहण हो जाने तथा समय पर मुआवजा/नियोजन नहीं मिलने से पीड़ित परिवार काफी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला भू–अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा/नियोजन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0 वि0स0 (अ0सू0)–82/2019.....454.....(8)/रा0 राँची, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1582/वि0स0, दिनांक–19.07.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19
सरकार के अवर सचिव

(77)

श्री दीपक बिरूआ, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.07.19 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोन्टो प्रखण्ड के पालीसाई स्थित 30 बेड का स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2016 में बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए चार साल बीत जाने के बावजूद अब तक चिकित्सक एवं कर्मचारियों को बहाल नहीं किये जाने के कारण स्थानीय लोगों को ईलाज हेतु 20 कि0मी0 जिला सदर अस्पताल जाने को मजबुर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोन्टोग्राम जो पालीसाई में बना हुआ है, में वर्त्तमान मे कार्य व्यवस्था के तहत एक चिकित्सक (अनुबंध) डॉ0 चानो राम सोरेन एवं 02 ए0एन0एम0 (अनुबंध) सलामी सोय एवं रेशमा तिर्की सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं बुधवार को ओ0पी0डी0 का कार्य करते हैं।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में स्थायी चिकित्सकों/ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर स्वास्थ्य केन्द्र चालु करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-49/19 - 388 (15) राँची, दिनांक–24-7-19
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1628 दिनांक– 21-07-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.19
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है जमशेदपुर में स्थित टाटा कम्पनी ने सरकार द्वारा दी गयी जमीन लीज की शर्तों का घोर उल्लंघन किया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–20.08.05 को राज्य सरकार एवं मे0 टाटा स्टील लि0 के बीच निष्पादित Indenture of lease की कंडिका–8 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–3874/रा0, दि0–06.12.05 के द्वारा गठित Appropriate Machinery Committee की अनुशंसा के आलोक में टाटा लीज की भूमि को विभिन्न संस्थाओं के साथ सबलीज किया गया था। सबलीज के क्रम में हुई अनियमितता के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वाद सं0–W.P.(C) No.-6138/2012 एवं अन्य में दिनांक–17.12.14 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–549/रा0, दि0–21.02.15 एवं अधिसूचना सं0–1915 /रा0, दि0–07.05.15 के द्वारा आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति के द्वारा विषयगत सबलीज मामले की जाँच करायी गयी है, जिसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त है। इसी तारतम्य में सबलीज संबंधी मामलों में महालेखाकार, झारखण्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन–2016 (राजस्व क्षेत्र) पर झारखण्ड विधानसभा की लोक–लेखा समिति (P.A.C.) का प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त है। साथ ही टाटा लीज अन्तर्गत सबलीज पर प्रदान की गई भूमि के संदर्भ में कतिपय आवंटियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं0–W.P.(C) No.-1181/2009, W.P.(C) No.-2160/2009 एवं अन्य 2 रिट पिटिशन दायर किया गया है, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में विभाग द्वारा P.A.C. के प्रतिवेदन के संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय को जानकारी दी गई है तथा इस पर मे0 टाटा स्टील लि0 का पक्ष प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है, उनका पक्ष वर्तमान में अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि टाटा कम्पनी ने लीज के नियम का उल्लंघन करते हुए बहुत से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं को जमीन सब लीज में दे दिया है जिसके कारण झारखण्ड सरकार को अरबों रूपये की राजस्व की क्षति हुई है ;	

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टाटा कम्पनी से राजस्व की क्षतिपूर्ति का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/वि0स0 (अ0सू0)–47/2019.....2729.....(4)/रा0 राँची, दिनांक– 23-07-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1428/वि0स0, दिनांक–15.07.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19
सरकार के अवर सचिव

(79)

श्रीमती मेनका सरदार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.07.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न स0–15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में आरोग्य लाभ हेतु आयुष्मान योजना के तहत् Golden Card उपलब्ध है जिसके तहत् गंभीर बीमारियों की इलाज हेतु 5(पाँच) लाख रुपये का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि Golden Card के तहत् Heart, Lung, Kidney, Stone जैसी गंभीर बीमारियों तथा हड्डी टुटना Knee Replacement आदि के इलाज का प्रावधान नहीं किया है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित बीमारियों की इलाज Golden Card से सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	खण्ड–2 में वर्णित बिमारियों का ईलाज AB-PMJAY के तहत् किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–13/वि0 स0–07–08/19–283(13) स्वा0, राँची, दिनांक 24/07/2019

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1627/वि0स0, दिनांक–21.07.19 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/2019
सरकार के उप सचिव।

(80)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.07.19 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद एवं रामगढ़ सहित राज्य के सदर अस्पतालों में एण्टी रैबीज एवं एण्टी भेनम की दवा नहीं है जिसके कारण संबंधित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है ;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में बरसात के दिनों में वर्णित मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि होती है जिसके कारण उक्त अस्पताल प्रबंधन द्वारा संबंधित मरीजो का बाहर रेफर कर दिया जाता है जिससे अबतक उक्त जिलों में लगभग 100 से अधिक मरीजों की जान जा चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एण्टी रैबीज एवं एण्टी भेनम के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु की ऐसी कोई सूचना नही है ,परन्तु गम्भीरावस्था में बेहतर ईलाज हेतु (ICU/Dialysis) मरीजों को रिम्स, राँची में रेफर किया जाता है ।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित एवं जनहित में राज्य के सभी सदर अस्पतालों में खण्ड–1 में वर्णित दवा के स्टॉक की जॉच कराकर तत्काल प्रभाव से दवा की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-37/19 - 402 (15) राँची, दिनांक–24-7-19
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1529 दिनांक– 17-07-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.19.
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(81)

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.07.19 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, दिनांक 1/8/2018 को सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयानुसार 10 वर्षो तक राज्य सरकार के अधीन संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों की सेवा नियमित किया जाना है ;	इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त न्याय निर्णय का अनुपालन 30 नवम्बर, 2018 तक किये जाने का आदेश पारित है ;	अस्वीकारात्मक, यथा उपरोक्त।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त न्याय निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य में 10 वर्षो तक अनुबंध में कार्यरत ए0एन0एम0-जी0एन0एम0 नर्सो की सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0-1348 दिनांक 13.02.2015 (अधिसूचना सं0-4871 दिनांक 20.06.2019 द्वारा संशोधित) द्वारा निरूपित नियमावली के आलोक में समीक्षोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-10/ क्यू (वि0स0)-01-07/2019 - 175(10) स्वा0/राँची/दिनांकः- 25/7/19

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1626/वि0स0 दिनांक 21.07.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.19
सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar/Health (Section-10)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–03 का प्रश्नोत्तर

(82)

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि छो0का0अधि0 1908 की धारा–46(3) में प्रावधान है कि धारा–46 का उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई अंतरण न तो रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और न सविल, दांडिक या राजस्व अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिमान्य ही समझा जायेगा ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छो0का0अधि0 1908 की धारा–46 का उपधारा (1) के उल्लंघन में Unregistered दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जनजाति सदस्यों की भूमि का अन्तरण न हो, इसके लिए राज्य सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु समुचित प्रावधान है। सी0एन0टी0 एक्ट, 1908 की धारा–46 की उपधारा–(1) के उल्लंघन के विरूद्ध इसमें पर्याप्त प्रावधान मौजूद है। सी0एन0टी0 एक्ट, 1908 की धारा–46 की उपधारा–(1) के उल्लंघन तथा अनिबंधित दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि का अंतरण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। ऐसे मामले प्रकाश में आने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6 / वि0स0(अल्प–सूचित)–162 / 19...2778.../ रा0, दिनांक–25-07-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1450 वि0स0, दिनांक–16.07.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19
सरकार के संयुक्त सचिव।